ारीख ुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ता में जारी हु
	11.6.25 पत्रावली पेश हुई निर्णय प्रथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय प्रति प्रथक से तहसीलदार अलवर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जाकर बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी –श्री यशार्थ शेखर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03/11	19.03.2024	136 LR Act	11.06.2025

उनवान

1:–भौमाराम पुत्र श्री सन्नूराम सैनी उम्र 43 साल निवासी गुजूकी तहसील अलवर

प्रार्थी

बनाम

1:–तहसीलदार तहसील अलवर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट
निर्णय

प्रार्थीयान ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल. आर.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर साबिक 342 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा ग्राम गुजूकी तहसील अलवर में वाके हैं जो आराजी गिरवरदान सिंह पुत्र प्रभूदान सिंह जाति बारेठ के खातेदारी की आराजी थी उक्त गिरवरदानसिंह ने उक्त आराजी को रामकिशन, प्रभातीराम बब्बूराम व भम्बूराम (भौमाराम) जरिये बयनामा बेचान किया जो बयनामा उप पंजीयक महोदय अलवर से तारीख 09–08–1978 को उप पंजीयक महोदय अलवर से पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 289 के पृष्ठ संख्या 241 से 243 के क्रम संख्या 1102 पर पंजीबद्ध किया गया वक्त बयनामा मिन सायल भौमाराम नाबालिग था व सरपरस्त सन्नूराम पुत्र छोटक्याराम जो मिन सायल के पिता थे, मेरे पिता मेरी नाबालिग अवस्था में उक्त आराजी का बयनामा मिन सायल व रामकिशन, प्रभातीराम, बब्बूराम के नाम बयनामा तहरीर व तकमील कराया था व उक्त बयनामे में मिन सायल का नाम भम्बूराम दर्ज कर दिया हैं व उक्त आराजी का इन्तकाल बय 232 में मिन सायल का नाम भम्बूराम दर्ज किया गया है व इसी इन्तकाल के आधार पर रेवेन्यू रिकार्ड में मिन सायल का नाम उक्त आराजी के बाबत भम्बूराम अंकित हो रहा हैं व उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 910/1347 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 962 रकबा 0. 44 हैक्टेयर, 971 रकबा 0.46 हैक्टेयर, 973 रकबा 0.52 हैक्टेयर, 983 रकबा 0.57 हैक्टेयर, 989 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 2.10 हैक्टेयर वाके ग्राम गुजूकी तहसील अलवर कायम हुये है जो खाता नंबर 205 में अंकित हैं। जिसमें मिन सायल का 1/4 हिस्सा है

मिन सायल व अन्य प्रभाती, बाबूलाल व रामकिशन की हकूक कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1005 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 1006 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1007 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 1008 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 1009 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 262 रकबा 1.01 हैक्टेयर, 311 रकबा 0.37 हैक्टेयर, 312 रकबा 0. 39 हेक्टेयर, 365 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 366 रकबा 0.46 हैक्टेयर कुल किता 10 रकबा 3.19 हैक्टेयर वाके ग्राम गुजूकी तहसील अलवर में हैं जिसका खाता नंबर 202 है व उक्त आराजी में मिन सायल भौमाराम का 1/4 हिस्सा हैं व

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

मिन सायल का नाम खाता नंबर 202 में दर्ज आराजी में मिन सायल का नाम भौमाराम अंकित है।

आराजी खसरा नंबर साविक 342 रकवा 8 वीघा 6 विस्वा ग्राम गुजूकी तहसील अलवर में वाके हैं जो आराजी गिरवरदान सिंह पुत्र प्रभूदान सिंह जाति वारेठ के खातेदारी की आराजी थी उक्त गिरवरदानसिंह ने उक्त आराजी को रामकिशन, प्रभातीराम वब्बूराम व भम्बूराम (भौमाराम) जरिये बयनामा बेचान किया जो बयनामा उप पंजीयक महोदय अलवर से तारीख 09–08–1978 को उप पंजीयक महोदय अलवर से पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 289 के पृष्ठ संख्या 241 से 243 के क्रम संख्या 1102 पर पंजीवद्ध किया गया वक्त बयनामा मिन सायल भौमाराम नाबालिग था व सरपरस्त सन्नूराम पुत्र छोटक्याराम जो मिन सायल के पिता थे, मेरे पिता मेरी नाबालिग अवस्था में उक्त आराजी का वयनामा मिन सायल व रामकिशन, प्रभातीराम, बब्बूराम के नाम बयनामा तहरीर व तकमील कराया था व उक्त बयनामे में मिन सायल का नाम भम्बूराम दर्ज कर दिया हैं व उक्त आराजी का इन्तकाल वय 232 में मिन सायल का नाम भम्बूराम दर्ज किया गया हैं व इसी इन्तकाल के आधार पर रेवेन्यू रिकार्ड में मिन सायल का नाम उक्त आराजी के बाबत्त भम्बूराम अंकित हो रहा हैं व उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 910 / 1347 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 962 रकवा 0.44 हैक्टेयर, 971 रकवा 0.46 हैक्टेयर, 973 रकबा 0.52 हैक्टेयर, 983 रकवा 0.57 हैक्टेयर, 989 रकवा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 6 रकवा 2.10 हैक्टेयर वाके ग्राम गुजूकी तहसील अलवर कायम हुये है जो खाता नंबर 205 में अंकित हैं जिसमें मिन सायल का 1 / 4 हिस्सा है

मिन सायल का नाम भौमाराम के स्थान पर उक्त बयनामे में भम्बूराम दर्ज हो गया व भम्बूराम के नाम से ही उक्त आराजी का इन्तकाल बय नंबर 232 में दर्ज व स्वीकार किया व इन्तकाल के आधार पर उक्त आराजी का खाता नंबर 205 कायम किया गया जिसमें मिन सायल का नाम भम्बूराम अंकित है जबकि मिन सायल का नाम भौमाराम है।

मिन सायल बैंक में अपनी उक्त आराजी हाल खसरा नंबर 910 / 1347 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 962 रकबा 0.44 हैक्टेयर, 971 रकबा 0.46 हैक्टेयर, 973 रकबा 0.52 हैक्टेयर, 983 रकबा 0.57 हैक्टेयर, 989 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 2.10 हैक्टेयर वाके ग्राम गुजूकी तहसील अलवर खाता नंबर 205 पर लोन लेने गया तो बैंक के अधिकारीगण व कर्मचारीगण ने कहा कि तुमको लोन नहीं मिल सकता हैं चूंकि उक्त खाते में उक्त आराजी के बाबत तुम्हारा नाम भम्बूराम अंकित है जिसे दुरूस्त कराकर लाओ। जिस पर मिन सायल ने तहत अदालत में एक प्रार्थना पत्र तारीख 02–01–2024 को पेश किया जिस पर तहत अदालत ने क्रमांक भू0अ0 22 दिनांक 02–01–2024 निम्नानुसार जांच करने के बाबत आदेश फरमाया हैं, जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 13–03–2024 को तहत अदालत के कार्यालय क्रमांक 22 दिनांक 02–01–2024 के बाबत जांच की व जांच में पाया कि खाता नंबर 205 ग्राम गुजूकी में जो आराजी अंकित हैं उसमें मिन सायल का नाम भम्बूराम अंकित किया हैं जबकि उक्ता खाता नंबर 205 में भम्बूराम के बजाय भौमाराम दर्ज होना चाहिये व खाता नंबर 202 में दर्ज आराजीयात में मिन सायल का नाम भौमाराम अंकित है। जिस पर तहत अदालत ने श्रीमान के यहां प्रार्थना पत्र पेश करने के बाबत कहा। इसलिए श्रीमान के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। उक्त इन्द्राज भम्बूराम कागजात माल में उक्त आराजी के बाबत कायम रहने से मिन सायल के हकूक जायल होकर खतरे में पडने का अंदेशा है व मिन सायल की

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

बर्बादी का बाईस है। मिन सायल उक्त आराजी को रहन बय करने से मजबूर हैं उक्त आराजी पर बैंक ऋण नहीं ले पा रहा है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भौमाराम पुत्र सन्नूराम की आराजी खसरा नंबर साबिक 342 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम गुजूकी तहसील अलवर हाल खसरा नंबर 910/1347 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 962 रकबा 0.44 हैक्टेयर, 971 रकबा 0.46 हैक्टेयर, 973 रकबा 0.52 हैक्टेयर, 983 रकबा 0. 57 हैक्टेयर, 989 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 2.10 हैक्टेयर वाके ग्राम गुजूकी तहसील अलवर खाता नंबर 205 में हैं लेकिन रेवेन्यू रिकार्ड में मिन सायल का नाम सहबन से भम्बूराम दर्ज हो गया हैं, जबकि मिन सायल का नाम भौमाराम हैं व भौमाराम के नाम से मिन सायल का भामाशाह कार्ड व आधार कार्ड व विद्युत बिल व अन्य रिकार्ड में व अन्य आराजी खातेदारी खाता नंबर 202 जिसमें मिन सायल का नाम भौमाराम अंकित किया है इसलिए रेवेन्यू रिकार्ड में भम्बूराम के स्थान भौमाराम दर्ज किया जावे। जिसे दुरूस्त किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार अलवर कमॉकःभू0अ0/2024/5825 दिनॉक 22–8–24 द्वारा अवगत कराया कि मुताबिक हाल जमाबन्दी वाके ग्राम गूजूकी के खाता न0 205 में स्थित खसरा नम्बर 910/1347, 962, 973, 971, 983, 989 किता 6 रकवा 2.10 है० मे प्रभाती बब्बूराम भम्बूराम रामकिशन पुत्रान सन्नूराम जाति माली सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजी किता 6/2.10 हाल का साबिक ख.न. 342 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा बनता है उक्त आराजी के हाल ख0 नम्बरो में दर्ज भम्भूराम पुत्र सन्जूराम दर्ज रिकार्ड को वादी भोमाराम पुत्र सन्नूराम दुरुस्त करवाने का अनुतोष चाहता है मुताबिक बैयनामा रजिस्ट्रर्ड दिनांक 09/08/1978 को उप पंजीयक अलवर द्वारा सम्पादित हुआ जिसका नामा. स. 232 दिनांक 03/01/1979 को प्रभाती बब्बूराम भम्बूराम रामकिशन पुत्रान सन्नूराम जाति माली सा. देह खातेदार ग्राम पंचायत भजीट तहसील अलवर द्वारा फैसल किया गया है। जिसका रिकार्ड में अमल दरामद हुआ जो वर्तमान में चला आ रहा है। जो सही है मुताबिक जाँच रिपोर्ट दिनांक 22/07/2024 को जयें वैयनामा के अनुसार नामा.स. 232 दिनांक 03/01/1979 को सही स्वीकृत हुआ है। राजस्व रिकार्ड में कही अशुद्धि नही हुई है। अर्थात राजस्व रिकार्ड मे कोई त्रुटि नही हुई है। प्रकरण 136 का नही बनता है अतः मुताबिक जाँच रिपोर्ट के अनुसार रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 09/08/1978 का दर्ज नामान्तकरंण संख्या 232 दिनांक 03/01/1979 को ग्राम पंचायत द्वारा फैसल किया गया है जो सही है राजस्व रिकार्ड मे कोई त्रुटि नहीं हुई है। प्रकरण 136 का नही बनता है। तथा तहसीलदार अलवर की नवीन रिपोर्ट कमॉक भू0अ0/2024/16 दिनॉक 01–01–25 मे अंकन किया गया है कि मुताविक जमाबन्दी के खाता नम्बर 205 मे भम्बूराम पुत्र सन्नूराम जाति माली हिस्सा 1/4 किता 6 रकबा 2.10 है0 दर्ज रिकार्ड है परिवादी उक्त आराजी मे दर्ज भम्बूराम पुत्र सन्नूराम के स्थान पर भौमाराम पुत्र सन्नूराम राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा गया है अतः उक्त प्रकरण मे न्यायिक प्रकिया पूर्ण होने उपरान्त न्यायालय निर्णय होने के बाद प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज भम्बूराम पुत्र सन्नूराम के बजाय भौमाराम पुत्र सन्नूराम दुरूस्त करने का चाहा गया अनुतोष की पालना किया जाना उचित होगा।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूष्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2)1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूष्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न प्रा0 पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार अलवर की प्राप्त दोनो रिपोर्ट का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी की अन्य आराजी आराजी खसरा नंवर 1005 रकवा 0.29 हैक्टेयर, 1006 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1007 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 1008 रकवा 0.07 हैक्टेयर, 1009 रकवा 0.07 हैक्टेयर, 262 रकबा 1.01 हैक्टेयर, 311 रकवा 0.37 हैक्टेयर, 312 रकवा 0. 39 हैक्टेयर, 365 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 366 रकबा 0.46 हैक्टेयर कुल किता 10 रकवा 3.19 हैक्टेयर वाके ग्राम गुजूकी तहसील अलवर में हैं जिसका खाता नंबर 202 है व उक्त आराजी में प्रार्थी भौमाराम का 1/4 हिस्सा हैं अर्थात प्रार्थी का नाम खाता नंबर 202 में दर्ज आराजी में भौमाराम अंकित है। जिसका सत्यापन पटवारी हल्का की दैनिक डायरी माह फरवरी/2024 वाके ग्राम गूजूकी पटवार मण्डल भजीट तहसील अलवर से होता है एंव प्रस्तुत आधार कार्ड स0 9280 1622 8087 तथा जनआधार कार्ड स0 4840421625 एंव श्रमिक कार्ड स0 बी2/2016/0210660 आदि से स्पष्ठ होता है कि प्रार्थी का सही नाम भौमाराम पुत्र सन्नूराम है

अतः आदेश दिये जाते है कि खाता स0 नया 205 के हाल खसरा नंबर 910/1347 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 962 रकबा 0.44 हैक्टेयर, 971 रकवा 0.46 हैक्टेयर, 973 रकबा 0.52 हैक्टेयर, 983 रकबा 0. 57 हैक्टेयर, 989 रकवा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 6 रकवा 2.10 हैक्टेयर वाके ग्राम गुजूकी तहसील अलवर में अंकित **भम्बूराम पुत्र सन्नूराम के स्थान पर भौमाराम पुत्र सन्नूराम** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अंकित किया जाकर दुरूस्त किया जावे शेष प्रृविष्टिया यथावत रहेगी।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी

निर्णय आज दिनांक 11 –06–2025 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा अंकित कराया जाकर सुनाया गया।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर